कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–850/2115 रायपुर, दिनांक 27/08/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservaction Act, 1980 Proposed for Govt. Medical College in Kanker division of Kanker Distt. in Chhattisgarh State, area- 30.529 ha.**
पंजीयन कमांक–**FP/CG/Other/43957/2020**

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–01/2020/ 10–2 दिनांक 07.03.2020 एवं पत्र दिनांक 27.11.2020

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 141/ 2021/ 2634 दिनांक 18.08.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र–1 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कांकेर का कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत 30.529 हे. वन भूमि चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भ पत्र–2 से उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा अपनी अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:–

अधिरोपित शर्त क्रमांक		पालन प्रतिवेदन
1	2	3
1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तन रहेगा।	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप का किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–1**
2.	(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर कांकेर वनमण्डल अंतर्गत चारामा परिक्षेत्र तथा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल आमाबेड़ा परिक्षेत्र अंतर्गत निम्नानुसार नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जावेगा – <table><tr><td>वृक्षारोपण स्थल क्र.</td><td>वन मंडल</td><td>परिक्षेत्र</td><td>वनखंड</td><td>नारंगी क्षेत्र क्र.</td><td>वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित रकबा हे.में</td></tr><tr><td>साईट–01</td><td>पूर्व भानुप्रतापपुर</td><td>आमाबेड़ा</td><td>तेलंगा–अ</td><td>–</td><td>34.258</td></tr><tr><td>साईट–02</td><td>कांकेर</td><td>चारामा</td><td>कोटेला</td><td>नारंगी क्षेत्र–1459</td><td>11.325</td></tr></table>	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कांकेर वनमंडल में रकबा 26.800 हे. नारंगी वन भूमि तथा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में रकबा 34.258 हे. नारंगी वन भूमि इस प्रकार कुल 61.058 हे. भूमि चयन किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित प्रति हेक्टेयर सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर 726270.00

<table>
<tr><th></th><th>अधिरोपित शर्त क्रमांक</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>

साईट–03	कांकेर	चारामा	पलेवा	नारंगी क्षेत्र–1439	15.475
				योग–	61.058

</td><td>रूपये के अनुसार 61.058 हे. X 726270.00 = 44344594.00 रूपये (चार करोड़ तिरालिस लाख चौवालिस हजार पॉच सौ चौरान्बे रूपये मात्र) ई–चालान के माध्यम से दिनांक 26.03.2021 तथा 5.7.2021 को कैम्पा खाता में जमा किया गया है। प्रकरण स्वीकृति पश्चात वृक्षारोपण कार्य की जावेगी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् संरक्षित वन या धारा 4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।</td><td>नियमानुसार अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की जावेगी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगें ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।</td><td>शर्त क्रमांक–2 (अ) के अनुसार चिन्हित नारंगी वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित प्रति हेक्टेयर सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर 726270.00 रूपये के अनुसार 61.058 हे. X 726270.00 = 44344594.00 रूपये को ई–चालान के माध्यम से दिनांक 26.03.2021 तथा 05.07.2021 को क्रमशः रूपये 888846.00 व 43455748.00 रूपये इस प्रकार कुल राशि 44344594.00 रूपये (चार करोड़ तिरालिस लाख चौवालिस हजार पॉच सौ चौरान्बे रूपये मात्र) कैम्पा खाता में जमा किया गया है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक–2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1996 के अंतर्गत IA क्रमांक–566 में मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003,28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–FC (पार्ट–II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे संबधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–FC दिनांक 03.10.2006 तथा पत्र क्रमांक 5–3/2007– FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 30.529 हे. वन भूमि के लिए शुद्व वर्तमान मुल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।</td><td>भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन में व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि रकबा 30.529 हे. के विरूद्ध प्रति हेक्टेयर निर्धारित दर रूपये 626000,00 के मान से 19111154.00 रूपयें (एक करोड़ इनकान्बे लाख ग्यारह हजार एक सौ चौवन रूपये मात्र) प्रत्याशा मूल्य की राशि ई–चालान के माध्यम से दिनांक 26.03.2021 को कैम्पा खाता में जमा की गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक–3</td></tr>
</table>

अधिरोपित शर्त क्रमांक		पालन प्रतिवेदन
1	2	3
	(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	वर्तमान में जमा की गई शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के राशि के अतिरिक्त राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है तो उसे आवेदक विभाग जमा करने हेतु वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–4
5	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB 01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली– 110003 में स्थित खाता संख्या CAF25203 में हस्तांतरित की जायेगी।	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि 44344594.00 रूपये तथा प्रत्याशा मूल्य की राशि 19111154.00 रूपयें इस प्रकार कुल राशि 63455748.00 रूपये को कैम्पा खाता में जमा की गई है। संलग्नक–5
6	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–6
7	वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तो का पालन किया जाएंगे।	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अंतर्गत अन्य समस्त शर्तो का पालन वन भूमि हस्तांतरण के पूर्व किया जावेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–7
8	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में 3951 बांस भिर्रा तथा 794 वृक्ष से ज्यादा वृक्ष नहीं काटे जायेगी।	चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन अनावश्यक नहीं किया जावेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–8
9	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जावेगी।	आवश्यक होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण स्वीकृति ली जावेगी के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–9
10	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में निर्माण के दौरान अथवा निर्माण पश्चात् भविष्य में निकलने वाले अपशिष्ट (Biomedical waste, Radioactive waste,Hazardous chemical waste, Solid waste etc) का नियमानुसार उचित प्रबंधन किया जायेगा। उक्त प्रबंधन हेतु यदि किसी प्रकार के नियम अधिनियम के तहत् स्वीकृति आवश्यक हो तो तद्नुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। किसी भी स्थिति में उपरोक्त अपशिष्ट को वन क्षेत्र में dispose off नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य में निर्माण के दौरान अथवा निर्माण पश्चात् भविष्य में निकलने वाले अपशिष्ट (Biomedical waste, Radioactive waste, Hazardous chemical waste, Solid waste etc) का नियमानुसार उचित प्रबंधन हेतु यदि किसी प्रकार के नियम अधिनियम के तहत् स्वीकृति आवश्यक हो तो तद्नुसार स्वीकृति प्राप्त की

115

	अधिरोपित शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	2	3
		जायेगी। किसी भी स्थिति में उपरोक्त अपशिष्ट को वन क्षेत्र में dispose off नहीं किया जावेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–10**
11	आवेदक संस्थान उपरोक्त शर्त के पालन हेतु लागू समस्त नियम अधिनियम जैसे पर्यावरण/अपशिष्ट प्रबंधन अथवा अन्य के अनुरूप विस्तृत कार्य योजना बनायेंगे तथा संबधित विभागों से अनुमोदित कराकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के माध्यम से औपचारिक अनुमति के पूर्व अनुमोदित कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।	आवश्यक होने पर शासन के नियमानुसार शर्त के पालन हेतु लागू समस्त नियम अधिनियम जैसे पर्यावरण/अपशिष्ट प्रबंधन अथवा अन्य के अनुरूप विस्तृत कार्य योजना बनाया जाकर संबंधित विभागों से अनुमोदन प्राप्त कर औपचारिक अनुमति के पूर्व कार्य योजना प्रस्तुत कर दी जायेगी के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–11**
12	भारत सरकार के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 11–9/1998 –FC दिनांक 15.02.2018 के बिन्दु क्रमांक 3 (4) में उल्लेखित तालिका अनुसार नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे।	नोडल कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
13	आवेदित वन क्षेत्र में कार्यरत मजदुरों को आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर वैकल्पिक ईधन प्रदान की जायेगी, जिससे आस–पास के वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी की अवैध कटाई न हो सके।	ईधन के आपूर्ति के लिए वन क्षेत्र में अवैध कटाई न हो, इसके लिए परियोजना में कार्यरत मजदूरों को आवश्यक ईधन उपलब्ध कराई जायेगी के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–12**
14	आवेदित वन क्षेत्र में गैर वानिकी निर्माण कार्य के पश्चात् बचे खुले क्षेत्र में आवेदक संस्थान द्वारा स्वयं के खर्च पर स्थानीय वनाधिकारियों के मार्गदर्शन में यथासंभव वृक्षारोपण किया जायेगा।	व्यपवर्तित क्षेत्र में गैर वानिकी निर्माण कार्य के पश्चात बचे खुले वन क्षेत्र में विभाग स्वय के व्यय पर वन विभाग के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण का कार्य करेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–13**
15	आवेदित गैर वानिकी कार्य के दौरान पत्थरों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग प्रतिबंधित रहेगा। यह कार्य मजदूरों के माध्यम से परंपरागत तरीके से कराया जायेगा, जिससे क्षेत्र के फौना पर विपरित प्रभाव न पड़ें।	आवेदित क्षेत्र में गैर वानिकी निर्माण कार्य के दौरान पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी, बल्कि मजदूरों के माध्यम से परंपरागत तरीके पत्थरों के तोड़ाई का कार्य किया जायेगा, जिससे वन क्षेत्र के वन्य प्राणी एवं पशु, पक्षियों पर विपरित प्रभाव न पड़े के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–14**

	अधिरोपित शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	2	3
16	आवेदक संस्थान व्यपवर्तित वन भूमि को अन्य किसी भी संस्थान/व्यक्ति को कोई भी कार्य के लिए हस्तांतरित नहीं कर सकेगें।	व्यपवर्तित वन भूमि को अन्य किसी भी संस्थान/व्यक्ति को कोई भी कार्य के लिए हस्तातंरित नहीं की जायेगी के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–15
17	व्यपवर्तित वन क्षेत्र के आस–पास के फ्लोरा एवं फौना को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी।	व्यपवर्तित वन क्षेत्रों के आस–पास के फ्लोरा एवं फौना को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–16
18	आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर व्यपवर्तित स्थल का सीमांकन चार फीट ऊचे आर.सी.सी बाऊड्री पिल्लर के माध्यम से किया जायेगा। उक्त पिल्लरों में फारवर्ड एवं बैंक बियरिंग भी दर्ज की जायेगी।	आवेदक विभाग के व्यय पर व्यपवर्तित स्थल का सीमांकन चार फीट ऊचे आर.सी.सी बाऊड्री पिल्लर के माध्यम से किया जावेगा, जिसमें फारवर्ड एवं बैंक बियरिंग भी अंकित रहेगी के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–17
19	व्यपवर्तित वन क्षेत्र के आस–पास के वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना न हो सके इसके पर्याप्त प्रबंध आवेदक संस्थान द्वारा किये जायेगें।	व्यपवर्तित क्षेत्र के आस–पास के वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना न हो इसके लिए पर्याप्त प्रबंध विभाग द्वारा किया जायेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–18
20	आवेदित गैर वानिकी कार्य में कार्यरत मजदूरों हेतु व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर के वन क्षेत्र में झोपड़ी/अस्थायी निवास का निर्माण प्रतिबंधित होगा।	परियोजना में कार्यरत् मजदूरों हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र में झोपड़ी/अस्थायी निवास हेतु निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–19
21	आवेदित गैर वानिकी कार्य में उपयोग किये जाने वाले मशीनों का Installation व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर प्रतिबंधित होगा।	परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाले मशीनों का उपयोग व्यपवर्तित वन क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–20
22	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय को निवेदन करेंगे।	भारत सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि के प्रयोजन के उद्देश्य में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–21
23	क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या संबधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	अधिरोपित शर्तो के अतिरिक्त फ्लोरा एवं फौना के संरक्षण/ विकास हेतु राज्य शासन या संबधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय–समय पर शर्त अधिरोपित की जाती है

(6)

अधिरोपित शर्त क्रमांक		पालन प्रतिवेदन
1	2	3
		तो विभाग शर्त का पालन किये जाने हेतु वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक–22

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र–2 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ एफ. सी.–11/ 160/ 2019–एफ. सी दिनांक 23.06.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 850/ २११८ रायपुर, दिनांक २७/08/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
– वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़
– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

(158)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स,अटल नगर/ रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 | ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–850/946 | रायपुर, दिनांक 12/04/2024

प्रति,

वन महानिरीक्षक
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of 30.529 ha of forest land in favour of M/s Chief Medical & Health Officer, State Government for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Construction of Government Medical College Telgara at Forest Comp No. OA 1461 in Kanker Forest Division and District in the State of Chhattisgarh-reg.**
पंजीयन कमांक–FP/CG/Other/43957/2020

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-8/10/ 2024-IRO-Raipur / 1608 दिनांक 26.03.2024

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ 2024/ 1165 दिनांक 09.04.2024

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र –2 के माध्यम से प्रेक्षा अनुसार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

क्र.	आपत्ति बिन्दु	प्रतिवेदन
i	The Proposal Need to Be Upload Online.	संशोधित वृक्षारोपण योजना एवं वृक्षारोपण क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण, नामांतरण की जानकारी अपडेट किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 905 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से एन.आई.सी. भारत सरकार, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को लेख किया गया है। अपडेट होते ही प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपलोड किया जावेगा, पत्र की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
ii	The User Agency Has Proposed For Change of CA Land. The proposed area consists of 31.580 ha. Revenue land and 25 ha. Revenue Forest land, though 30.529 ha. NFL will suffice the purpose. Clearification is needed from the State in this regard. Further, this will effect change in the CA costs.	प्रथम चरण स्वीकृति अनुसार प्रकरण में बिगड़े दुगुने निम्नानुसार नारंगी क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित था:– (see table below)

वृक्षारोपण स्थल	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.मे.)
साईट–1	पूर्व भा.पुर	आमाबेड़ा	तेलंगा (अ)	–	34.258
साईट–2	कांकेर	चारामा	कोटेला	ओ.ए.1459	11.325
साईट–3	कांकेर	चारामा	पलेवा	ओ.ए.1439	15.475
		योग :–			61.058

क्र.	आपत्ति बिन्दु	प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

उक्त क्षेत्र में साईट क्रमांक–1 तेलंगा (अ) के रकबा 34.258 हे. भूमि को स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण स्थल परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है जिसका कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक 146 दिनांक 19.12.2023 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार क्षेत्रों का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है:-

क्र.	तहसील का नाम	प.ह. न.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर से अनापत्ति प्राप्त भूमि का रकबा	मद का नाम
1	कांकेर	01	कोकानपुर	34/1	13.00	राजस्व वन भूमि
2	कांकेर	01	कोकानपुर	36	1.58	चारागाह
3	कांकेर	07	कन्हारपुरी	153	7.00	चट्टान मद
4	कांकेर	07	कन्हारपुरी	178	5.00	
5	कांकेर	07	कन्हारपुरी	258	5.00	
6	चारामा	31	पलेवा	463	10.00	नारंगी वन भूमि
				485	5.00	
7		30	कोटेला	324/1	10.00	
			योग :-		56.58	

उपरोक्तानुसार कलेक्टर कांकेर द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी गई अनापत्ति में रकबा 13.00 हे. छोटे–बड़े झाड़ जंगल मद (राजस्व वन भूमि) तथा शेष रकबा 18.580 हेक्टेयर गैर वन मद भूमि चारागाह/ चट्टान मद तथा शेष नारंगी भूमि है। अतः प्रकरण में आवेदित कुल 30.529 हे. के एवज में वर्तमान में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	तहसील का नाम	प.ह. न.	ग्राम / पटवारी ह. नं.	खसरा क्र.	सी.ए. हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.)	भूमि का मद
समतुल्य राजस्व भूमि (18.58 हे.)						
1	कांकेर	01	कोकानपुर	36	1.58	चारागाह
2	कांकेर	07	कन्हारपुरी	153	7.00	चट्टान मद
3	कांकेर	07	कन्हारपुरी	178	5.00	
4	कांकेर	07	कन्हारपुरी	258	5.00	
			योग		18.580	
राजस्व वन/नारंगी वन भूमि (11.94 हे.) के दुगुने क्षेत्र में						
1	कांकेर	01	कोकानपुर	34/1	13.00	राजस्व वन भूमि
2		31	पलेवा ओ.ए.1439	463	10.00	नारंगी वन भूमि
3				485	0.898	
			योग		23.898	
			महायोग		42.478	

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्रस्ताव के संदर्भ में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रेषित जानकारी तालिका क्रमांक–2 के वृक्षारोपण स्थल साईट–1 में 13.00 हे. त्रुटिवश राजस्व भूमि उल्लेखित हो गया जबकि वास्तव में वह राजस्व वन भूमि है, जिसमें दुगुने के मान से क्षेत्र चयन किया जाना है। उपरोक्तानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर जिला कांकेर द्वारा दी गई

क्र.	आपत्ति बिन्दु	प्रतिवेदन
		अनापत्ति 56.58 हे. क्षेत्र में से 18.58 हे. ही समतुल्य एवं 23.898 हे. दुगुने बिगड़े क्षेत्र, कुल 42.478 हे. में रोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। कलेक्टर की अनापत्ति के शेष क्षेत्र को अन्य प्रकरण में रोपण हेतु उपयोग किया जावेगा, अतः उक्त को कृपया मान्य करने का अनुरोध है। कलेक्टर जिला कांकेर की अनापत्ति प्रमाण पत्र, वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का योजना एवं के.एम.एल. संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
iii	Stage-I Conditions No.9, 10 and 11 have not been complied with by the user agency. In this connection present and Justification need to be submitted by the user agency.	प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 9, 10 एवं 11 के पालन में आवेदक संस्थान अधिष्ठाता, स्व. इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक/ 804/ शाचिमा/ 2024 दिनांक 04.04.2024 की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से बिन्दुवार प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 1 से 3

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–850/ 947 रायपुर, दिनांक 12/04/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर मुख्य सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (संलग्न–3प्रति)
2. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
4. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़